यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना
पीठासीन अधिकारीः— श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

वाद संख्याः 243/2021 दायर दिनाँक 03.09.2021

वादी

1. वीरपाल सिंह पुत्र स्व0 महेन्द्र सिंह उम्र 27 वर्ष
2. नरेश कंवर उर्फ नीरज कंवर पुत्री स्व0 महेन्द्र सिंह राजपुत (पत्नि सुरेन्द्र सिंह
3. किशन कंवर पत्नि स्व0 महेन्द्र सिंह समस्त जाति राजपुत निवासी रूवां तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. गोविन्द कंवर पत्नि स्व0 गोकुल सिंह उम्र 77 वर्ष निवासी रूवां
2. मन्जू कंवर पुत्री स्व0 गोकुल सिंह उम्र 50 वर्ष हाल निवासी पीलीबंगा हनुमानगढ़।
3. प्रेम कंवर पुत्री स्व0 गोकुल सिंह उम्र 49 वर्ष निवासी रूवां (पत्नि शेरसिंह) समस्त जाति राजपुत निवासी रूवां
4. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
बंटवारा, रेकर्ड घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री राजेन्द्र कुमार माथुर एडवोकेट वादीगण।
2. श्री अल्ताफ हुसैन एडवोकेट प्रतिवादी सं0 1, 2 की ओर से।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 22.07.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वाकै सरहद रूवां राजस्व भूमि खसरा सं0 76 रकबा 08 बीघा 09 बिस्वा, खसरा सं0 243 रकबा 05 बीघा 18 बिस्वा, खसरा सं0 75 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा तथा खसरा सं0 437 रकबा 26 बीघा 01 बिस्वा कुल रकबा 43 बीघा 08 बिस्वा ग्राम रूवां में अवस्थित है। यह राजस्व भूमि कालान्तर में उक्त गोकुल सिंह के अन्य खातेदारान की पैतृक भूमियां है, जिनकी गोकुल सिंह के पहले उनके पिता गणपतसिंह पुत्र बाल सिंह के नाम की थी।

यह है कि चूंकि वादी पक्ष के पिता व पति महेन्द्र सिंह का 16 अगस्त 1995 में स्वर्गवास हो गया था और उस समय वादी वीरपाल सिंह व नरेश कंवर (निरू) कंवर बिल्कुल अवयस्क एवं बालक थे। वादीनी किशन कंवर भी अचानक अपने पति के आकस्मिक देहावसान से लगभग बेसहारा सी होकर आर्थिक संकट में आ गई। इसलिए वादी पक्ष के उक्त दादा व ससुर गोकुल सिंह ने अपने उक्त बताई गई पुश्तैनी भूमियों को बंट में आई अंतिम रूप से शेष रही उपरोक्त 43 बीघा 08 बिस्वा भूमि का मौखिक बंटवारा कर उक्त भूमियों का तीसरा हिस्सा कुल 14 बीघा 07 बिस्वा अपने स्व0 पुत्र महेन्द्र सिंह की पत्नि, पुत्र व पुत्री के नाम लिख दिया और इसके समर्थन में एक विलेख दिनांक 12.07.1996 को वादीगण के पक्ष में निष्पादित कर खसरा सं0 76 रकवा 16 बीघा 18 बिस्वा का 1/2 भाग अर्थात 08 बीघा 09 बिस्वा तथा खसरा सं0 243 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा 1/2 भाग अर्थात 05 बीघा 18 बिस्वा कुल भूमि 14 बीघा 07 बिस्वा ग्राम रूवां को वादीगण को काश्त करने हेतु एवं बंट तथा सम्पूर्ण स्वामित्व में दे दी और वादीगण ने इसी दिवस दिनांक 12.07.1996 को उक्त कुल 14 बीघा 07 बिस्वा भूमि का वास्तविक व भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त कर इस पर अपनी काश्त प्रारम्भ कर दी। उक्त दिवस दिनांक 12.07.1996 से लेकर आज तक लगातार बेरोक टोक वादीगण अपनी उक्त भूमि में शांतिपूर्ण साअधिकार काबिज है। जिस विलेख दिनांक 12.07.1996 की प्रतिलिपि पेश है। यह विलेख वादीगण के पिता व पति महेन्द्र सिंह के स्वर्गवास के लगभग 11 माह पश्चात निष्पादित किया गया था। वर्तमान में इस वर्ष भी उक्त बताई 14 बीघा 07 बिस्वा भूमि पर [illegible] कब्जा व काश्त वादीगण की ही की हुई है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:58:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार इस प्रकार है :–

यह है कि वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध उक्त खसरा सं0 76 रकबा 08 बीघा 09 बिस्वा, खसरा सं0 243 रकबा 05 बीघा 18 बिस्वा, खसरा सं0 75 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा, खसरा सं0 437 रकबा 26 बीघा 01 बिस्वा का उपरोक्त पूर्व में हुए वादीगण के बंट में विलेख दिनांक 12.07.1996 के अनुसार बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स कराया जाकर खसरा सं0 76 रकबा 08 बीघा 09 बिस्वा व खसरा सं0 243 रकबा 05 बीघा 18 बिस्वा कुल रकबा 14 बीघा 07 बिस्वा भूमि ग्राम रूवां को पृथक से वादीगण के हक अधिकारों की भूमि बंट में आई घोषित कर उक्त बताई गई 14 बीघा 07 बिस्वा भूमि ग्राम रूवां की पृथक से खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज की जाने व इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने की डिक्री वादीगण के पक्ष में, प्रतिवादीगण के विरूद्ध पारित करने की कृपा करावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, तत्पश्चात प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 4 बावजुद तामिल के अनुपस्थित होने से इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादीगण सं0 1 व 3 एवं प्रतिवादीगण सं0 01 व 03 का राजीनामा पेश हुआ, जिसे बाद तस्दीक सामिल मिसल किया गया।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, वादीगण ने वाद का डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। न्यायिक द्रष्टान्तो कां अध्ययन किया, तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री किया जाता है।

–:आदेश :–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद रूवां के खेत खसरा सं0 76, 243, 75, 437 की भूमि में राजीनामा अनुसार वर्तमान खातेदारी के स्थान पर वादीगण को स्वतन्त्र खातेदार व काश्तकार घोषित किया जाता है, राजीनामा निर्णय व डिक्री अभिन्न भाग रहेगा।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **22.07.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Karikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:58:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

वाद संख्याः 243/2021 दायर दिनाँक 03.09.2021

वादी		प्रतिवादीगण
1. वीरपाल सिंह पुत्र स्व0 महेन्द्र सिंह उम्र 27 वर्ष 2. नरेश कंवर उर्फ नीरज कंवर पुत्री स्व0 महेन्द्र सिंह राजपुत (पत्नि सुरेन्द्र सिंह 3. किशन कंवर पत्नि स्व0 महेन्द्र सिंह समस्त जाति राजपुत निवासी रूवां तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. गोविन्द कंवर पत्नि स्व0 गोकुल सिंह उम्र 77 वर्ष निवासी रूवां 2. मन्जू कंवर पुत्री स्व0 गोकुल सिंह उम्र 50 वर्ष हाल निवासी पीलीबंगा हनुमानगढ़। 3. प्रेम कंवर पुत्री स्व0 गोकुल सिंह उम्र 49 वर्ष निवासी रूवां (पत्नि शेरसिंह) समस्त जाति राजपुत निवासी रूवां 4. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
बंटवारा, रेकर्ड घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 22.07.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री राजेन्द्र कुमार माथुर एडवोकेट वादीगण व श्री अल्ताफ हुसैन एडवोकेट प्रतिवादी सं0 1, 2 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद रूवां के खेत खसरा सं0 76, 243, 75, 437 की भूमि में राजीनामा अनुसार वर्तमान खातेदारी के स्थान पर वादीगण को स्वतन्त्र खातेदार व काश्तकार घोषित किया जाता है, राजीनामा निर्णय व डिक्री अभिन्न भाग रहेगा।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 22.07.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का जो डिग्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:58:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner